

बिहार राज्य खनन निगम
(राज्य सरकार का उपक्रम)

आदेश

बिहार राज्यान्तर्गत उपलब्ध लघु खनिज बालू, पत्थर दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है, एवं अन्य निकटवर्ती राज्यों से बिहार राज्य में उपयोग हेतु लाये भी जा रहे हैं, जिसका उपयोग विभिन्न संवेदकों/कार्य विभागों द्वारा निर्माण कार्यों में किया जा रहा है। वर्तमान में इन खनिजों के अन्य राज्यों से आयात/निर्यात पर कोई शूलक देय नहीं है। वर्तमान परिपेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि खनिजों के आयात/निर्यात प्रणाली पर भी नियमित अनुश्रवण हो एवं राज्य को इससे वांछित राजस्व की भी प्राप्ति हो।

उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोन्त यह निर्णय लिया जाता है कि बिहार राज्य से अन्य राज्यों को प्रेषित किये जाने वाले लघु खनिजों पर लघु खनिजों के दर का 100 प्रतिशत **Export Premium** देय होगा। साथ ही अन्य राज्यों से बिहार राज्य में प्राप्त/उपयोग में लाये जाने वाले लघु खनिजों पर 5 प्रतिशत की दर से **Import Premium** देय होगा।

उपरोक्त प्रीमियम का भुगतान निर्यातकर्ता/आयातकर्ता द्वारा बिहार राज्य खनन निगम के पक्ष में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजेश कुमार)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पत्रांक-बी.एस.एम.सी.एल.- 03/विविध-17/17.....एम0 पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/महाप्रबन्धक (F&O)/महाप्रबन्धक (HR & A) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पत्रांक-बी.एस.एम.सी.एल.- 03/विविध-17/17.....एम0 पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी समाहर्ता/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)

पत्रांक-बी.एस.एम.सी.एल.- 03/विविध-17/17.....एम0 पटना, दिनांक-17/1/2018

प्रतिलिपि:-सभी बंदोबस्तधारी, बालू/पत्थर को सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक (वित्त एवं ऑपरेशन)